विवरण

पशुपालन एवं डेयरी योजनाओं की सूची

क. पशुपालन

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

1. हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी तथा संतति परीक्षण केन्द्र का विस्तार।

2. आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता।

3. राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना।

4. पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता।

5. व्यावसायिक दक्षता विकास।

6. बूचड़खानों/पशु शव उपयोग केन्द्रों तथा प्राथमिक निस्चयन एककों के सुधार/स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता।

7. प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण।

8. राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम।

9. राष्ट्रीय मेढ़ा/मृग उत्पादन कार्यक्रम तथा खरगोश विकास कार्यक्रम।

10. भारवाही पशुओं का विकास।

11. एकीकृत सूअर विकास के लिए राज्यों को सहायता।

केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं

12. पशुपालन विस्तार कार्यक्रम।

ख. डेयरी विकास

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं

1. उत्तरी केरल में स्विस सहायता प्राप्त डेयरी विकास परियोजना

केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं

2. गैर-ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना।

विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उदार खनन नीति

1233. **श्री अजीत जोगी:** क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खनिज संसाधनों के दोहन हेतु विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए खनन नीति को उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गैर-सरकारी पूंजी निवेशकों/विदेशी पूंजी निवेशकों/अनिवासी भारतीयों की ओर से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मंजूर की गई और कार्यान्वयन हेतु शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान खनिजों का खनिज-वार कितना उत्पादन किया गया और गत दो वर्षों के दौरान इनके उत्पादन की तुलना में इनका उत्पादन कितना रहा; और

(ङ) इस समय जिन खनन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, उनमें कितनी प्रगति हुई है और इसका उत्पादन और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमंग): (क) और (ख) राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 के अनुपालन में उच्च मूल्य और दुर्लभ खनिजों के गवेषण और खनन में विदेशी सहभागिता के प्रवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय कम्पनियों द्वारा प्रोत्साहित खनन के संयुक्त उद्यमों में विदेशी इक्विटी निवेश प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ग) और (ङ) केन्द्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मंजूर किए जाने वाले प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और खनन पट्टों की मंजूरी के लिए प्रस्तावों अथवा उनकी प्रगति की मानीटरिंग का रिकार्ड नहीं रखती है।

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान खनिजों का खनिजवार उत्पादन और पिछले दो वर्षों के दौरान खनिजों का खनिजवार तुलनात्मक उत्पादन दर्शाने वाला ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। [**देखिए** परिशिष्ट 175, अनुपत्र संख्या 32]